NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 12-06-2025

विषय सूची

» किशोरों द्वारा हिंसक अपराधों में वृद्धि
» प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) की नौवीं वर्षगाँठ
» भारत में सामाजिक सुरक्षा कवर 2025 तक 64% से अधिक हो जाएगा: ILO
» भारत में चुनावों में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षण
» आपातकाल के 50 वर्ष

संक्षिप्त समाचार

» यूनेस्को 'रचनात्मक पाककला शहर'
» शिपकी ला
» लोकपाल
» माल्टा की गोल्डन पासपोर्ट योजना
» होरटोकी-सैरांग लाइन
» 'मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेप्यूटिक्स की खोज और विकास' पर संगोष्ठी
» समुद्री नौवहन सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन (IALA)
» पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र(BESZ)
» अभ्यास 'खान क्वेस्ट'

किशोरों द्वारा हिंसक अपराधों में वृद्धि

संदर्भ

- हाल के वैश्विक और घरेलू घटनाक्रमों ने भारत में किशोरों द्वारा किए गए हिंसक अपराधों में तेज वृद्धि को लेकर चिंता बढ़ा दी है।

भारत में किशोर हिंसक अपराधों की बढ़ती प्रवृत्ति

- समग्र गिरावट लेकिन बढ़ती हिंसा: कानून से संघर्ष में शामिल कुल किशोरों की संख्या 2017 में 37,402 थी, जो 2022 में घटकर 33,261 रह गई। हालाँकि, हिंसक अपराधों में शामिल किशोरों का प्रतिशत 2016 में 32.5% से बढ़कर 2022 में 49.5% हो गया (NCRB, 2023)।
- हिंसक अपराधों का स्वरूप: इनमें हत्या, बलात्कार, गंभीर चोट, हमला, आगजनी, डकैती और लूटपाट शामिल हैं। गैर-हिंसक अपराध जैसे चोरी या धोखाधड़ी को इस श्रेणी से बाहर रखा गया है।
- भौगोलिक वितरण: 2017 से 2022 के बीच मध्य प्रदेश ने इन मामलों में 20% का योगदान दिया, इसके बाद महाराष्ट्र (18%), राजस्थान (9.6%), छत्तीसगढ़ (8.4%), तमिलनाडु (5%) और दिल्ली (6.8%) का स्थान रहा।
- हॉटस्पॉट क्षेत्र: मध्य और पूर्वी भारत किशोर अपराधों के केंद्र के रूप में उभर रहा है, हालाँकि ओडिशा में ही केवल 10% किशोर अपराध हिंसक थे।

जघन्य किशोर अपराधों में वृद्धि के कारक

- डिजिटल प्रभाव: इनसेल उपसंस्कृति, साइबर धमकी और हिंसक सामग्री का बढ़ता प्रभाव, विशेष रूप से किशोर लड़कों में।
- अत्यधिक सोशल मीडिया उपयोग: आक्रामकता को बढ़ावा देता है, हिंसक व्यवहार की नकल को बढ़ाता है, और सहानुभूति को कम करता है।
- पारिवारिक और सामाजिक उपेक्षा: किशोरावस्था में भावनात्मक समर्थन और मार्गदर्शन की कमी।
- गरीबी और बेरोजगारी: आर्थिक रूप से कमजोर पृष्ठभूमि से आने वाले किशोरों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा या रोजगार के अवसर नहीं मिलते।
- सहकर्मी दबाव: असंगठित बस्तियों में युवाओं को गिरोहों या अपराधी समूहों की ओर धकेलता है।
- मादक पदार्थों का सेवन: शराब, नशीली दवाओं और घातक पदार्थों की आसान उपलब्धता से आवेगपूर्ण और आक्रामक व्यवहार बढ़ता है।

भारत द्वारा उठाए गए कदम

- किशोर न्याय (बाल देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015: 16–18 वर्ष के किशोरों को गंभीर अपराधों के लिए वयस्कों के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति देता है, जिसे किशोर न्याय बोर्ड द्वारा आकलन किया जाता है।
  - पुनर्वास और पुनः एकीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है।
- एकीकृत बाल संरक्षण योजना (ICPS): बाल अपराधों की रोकथाम, परामर्श एवं परिवार पुनः एकीकरण पर केंद्रित संस्थागत और गैर-संस्थागत देखभाल प्रदान करने वाली केंद्र प्रायोजित योजना।
- डिजिटल साक्षरता और साइबर सुरक्षा अभियान: CBSE, NCERT और शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन ग्रूमिंग, साइबर धमकी और डिजिटल व्यसनों से निपटने के लिए संचालित।

चुनौतियाँ

- अप्रभावी नीति कार्यान्वयन: किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के बावजूद पुनर्वास, परामर्श, और निगरानी तंत्र में खामियाँ बनी हुई हैं।
  - *अतिभारित और संसाधनहीन किशोर न्याय बोर्ड और बाल कल्याण समितियाँ।*
  - *किशोर अपराधियों का कलंकित होना और जेल के बाद समाज से बहिष्करण।*
  - *लिंग-विशिष्ट डेटा और हस्तक्षेप की कमी, विशेष रूप से लड़कियों के संदर्भ में।*

- **किशोर अपराधों को रोकने के लिए आवश्यक कदम** *प्रारंभिक हस्तक्षेप को मजबूत करना:* स्कूलों में अनिवार्य मनो-सामाजिक सहायता प्रणाली स्थापित करना।
  - *किशोर न्याय प्रणाली में सुधार:* किशोर न्याय बोर्ड और CWCs के लिए वित्त पोषण और प्रशिक्षण बढ़ाना।
- व्यक्तिगत पुनर्वास योजनाओं को सुनिश्चित करना: मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं, कौशल प्रशिक्षण और परिवार परामर्श के साथ।
- सामुदायिक पुनर्वास को बढ़ावा देना: स्थानीय NGOs, सामुदायिक नेताओं और युवा संरक्षकों को शामिल करें।
- डिजिटल स्पेस को विनियमित करना: उम्र-उपयुक्त सामग्री नीतियाँ लागू करना और किशोरों के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना।
- डेटा-संचालित नीति निर्माण: अपराधों की आयु, लिंग, क्षेत्र और प्रकार के आधार पर वर्गीकृत डेटा के माध्यम से सुधारात्मक उपाय करना।

निष्कर्ष

- भारत में किशोरों द्वारा किए गए हिंसक अपराधों में निरंतर वृद्धि गहरे सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और प्रणालीगत दोषों को दर्शाती है।
- सख्त कानून अकेले इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते, बल्कि रोकथाम, पुनर्वास, शिक्षा और सामुदायिक सहभागिता पर आधारित समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

Source: TH

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) की नौवीं वर्षगांठ

समाचार में

- भारत ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) की नौवीं वर्षगांठ मनाई।

PMUY के बारे में

- शुरुआत: 2016 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई।
- उद्देश्य: गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाले परिवारों की महिलाओं को एलपीजी (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस) कनेक्शन प्रदान करना, ताकि पारंपरिक खाना पकाने के तरीकों से जुड़े स्वास्थ्य जोखिमों को कम किया जा सके।
- लक्षित समूह: BPL परिवारों की वयस्क महिलाएँ, महिलाओं के सशक्तीकरण और उनके जीवन स्तर में सुधार पर ध्यान केंद्रित।
- पात्रता मानदंड: गरीबी रेखा से नीचे (BPL) रहने वाली महिलाएँ, जिनमें SC, ST, PMAY (ग्रामीण) परिवार, वनवासी और चाय बागान श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाती है। प्रवासी परिवार स्वयं घोषणा करके पते का प्रमाण दे सकते हैं।
- **चरण I (2016-2020):** BPL परिवारों की महिलाओं को 2020 तक 8 करोड़ नि:शुल्क एलपीजी कनेक्शन दिए गए।
- **चरण II (2021 से आगे):** PMUY योजना के तहत दिसंबर 2022 तक अतिरिक्त 1.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए, जिसमें प्रवासी परिवारों के लिए विशेष प्रावधान शामिल था।
- **उपलब्धियाँ (1 मार्च 2025 तक):** भारत में कुल घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं की संख्या 32.94 करोड़ तक पहुँच गई, जिसमें PMUY के तहत 10.33 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं।

महत्त्व

- स्वास्थ्य लाभ: स्वच्छ ईंधन का उपयोग पारंपरिक खाना पकाने के तरीकों (लकड़ी, कोयला, फसल अवशेष) को समाप्त करने में सहायता करता है, जो इनडोर वायु प्रदूषण का कारण बनते हैं।
  - **WHO अनुमान:** भारत में प्रत्येक वर्ष लगभग 5 लाख लोगों की मृत्यु अस्वच्छ खाना पकाने के ईंधन के उपयोग के कारण होती है।
- महिला सशक्तीकरण:
  - **लकड़ी इकट्ठा करने से मुक्ति:** PMUY महिलाओं को सशक्त बनाता है, क्योंकि उन्हें दूर-दराज के

जंगलों से ईंधन लकड़ी इकट्ठा करने में समय नहीं लगाना पड़ता।

- **बेहतर जीवनशैली:** स्वच्छ ईंधन तक पहुँच से समय और ऊर्जा की बचत होती है, जिससे महिलाएँ उत्पादक कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं।

- सामाजिक-आर्थिक लाभ:
  - **उत्पादकता में वृद्धि:** महिलाएँ श्रम-प्रधान खाना पकाने के तरीकों से मुक्त होती हैं, जिससे वे आर्थिक गतिविधियों में शामिल हो सकती हैं।
  - **संसाधनों पर नियंत्रण:** एलपीजी कनेक्शन महिलाओं के नाम पर जारी किए जाते हैं, जिससे वित्तीय स्वतंत्रता और परिवार में निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है।
- पर्यावरणीय लाभ:
  - **वायु प्रदूषण में कमी:** स्वच्छ ईंधन का उपयोग लकड़ी या केरोसिन जलाने से होने वाले हानिकारक उत्सर्जन को कम करता है, जिससे पर्यावरण संरक्षण में योगदान मिलता है।

चुनौतियाँ

- रीफिलिंग लागत: प्रारंभिक कनेक्शन निःशुल्क होता है, लेकिन रीफिलिंग लागत एक चुनौती बनी रहती है। गरीब परिवार नियमित रीफिलिंग का व्यय उठाने में असमर्थ हो सकते हैं।
- नौकरशाही बाधाएँ: दस्तावेजीकरण और अनुमोदन प्रक्रियाओं में देरी योजना के कार्यान्वयन को धीमा कर सकती है।
- अपर्याप्त बुनियादी ढाँचा: ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी वितरण के लिए अंतिम-मील संपर्क की कमी होती है। दूरस्थ क्षेत्रों में भरण संयंत्र और वितरक उपलब्ध नहीं होते हैं।
- *पारंपरिक प्रचलन:* LPG उपलब्ध होने के बावजूद, कई लाभार्थी अभी भी लकड़ी पर निर्भर रहते हैं, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहां एलपीजी रीफिलिंग महँगी है।

आगे की राह

- आपूर्ति शृंखला को मजबूत करना: ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में एलपीजी वितरण नेटवर्क का विस्तार करना, अधिक वितरण केंद्र और रीफिलिंग स्टेशन स्थापित करना।
- सुलभता सुनिश्चित करना: सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी या रीफिलिंग लागत के लिए सहायता, जिससे कम आय वाले परिवारों के लिए एलपीजी अधिक सुलभ हो सके।

Source: AIR

भारत में सामाजिक सुरक्षा कवर 2025 तक 64% से अधिक हो जाएगा: ILO

समाचार में

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के ILOSTAT के नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, भारत में 2025 में सामाजिक सुरक्षा कवरेज 64.3 प्रतिशत रहा, जो एक दशक पहले 19 प्रतिशत था।

मुख्य निष्कर्ष

- भारत अब सामाजिक सुरक्षा कवरेज में विश्व में दूसरे स्थान पर है, जो 94 करोड़ से अधिक नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है।
- अब भारत में प्रत्येक तीन में से दो व्यक्ति किसी न किसी सामाजिक सुरक्षा लाभ के अंतर्गत आते हैं—जिसका अर्थ है कि लगभग 950 मिलियन लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं।
- भारत वैश्विक स्तर पर प्रथम देश है जिसने ILOSTAT डेटाबेस में अपनी 2025 की सामाजिक सुरक्षा कवरेज डेटा को अपडेट किया है, जिससे डिजिटल प्रशासन और कल्याणकारी प्रणाली में पारदर्शिता को बढ़ावा मिला है।
- इनमें अटल पेंशन योजना, किसान सम्मान निधि, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), जननी सुरक्षा योजना और पीएम पोषण जैसी योजनाएँ शामिल हैं।

सामाजिक सुरक्षा क्या है?

- सामाजिक सुरक्षा वह संरक्षण है जो समाज व्यक्तियों और परिवारों को स्वास्थ्य देखभाल तक पहुँच सुनिश्चित करने तथा वृद्धावस्था, बेरोजगारी, बीमारी, मातृत्व एवं

अक्षमता जैसी परिस्थितियों में आय सुरक्षा की गारंटी देने के लिए प्रदान करता है।

भारत में सामाजिक सुरक्षा के प्रमुख प्रयास

- **प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान-धन योजना (PM-SYM):** असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों (जैसे रेहड़ी-पटरी वाले, रिक्शा चालक, निर्माण श्रमिक, घरेलू कामगार) को वृद्धावस्था संरक्षण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु।
- **प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना (PMJJBY):** सस्ती जीवन बीमा कवरेज प्रदान करने हेतु।
- **अटल पेंशन योजना (APY):** असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए गारंटीकृत पेंशन प्रदान करने हेतु।
- **आयुष्मान भारत (प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना - PMJAY):** सबसे गरीब और सबसे कमजोर वर्गों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करने हेतु।
- **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) / राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA):** सब्सिडी वाली खाद्य वस्तुओं को उपलब्ध कराकर खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु।
- **प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G):** "सबके लिए आवास" की सुनिश्चितता, जिसमें सभी बेघर परिवारों और कच्चे या जर्जर मकानों में रहने वालों को बुनियादी सुविधाओं वाला पक्का घर उपलब्ध कराना।

Source: ET

भारत में चुनावों में महिलाओं के लिए 33% सीट आरक्षण

संदर्भ

- भारत सरकार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण लागू करने की तैयारी कर रही है, जिसका लक्ष्य 2029 के आम चुनाव हैं।

ऐतिहासिक संदर्भ

- महिलाओं के राजनीतिक आरक्षण की माँग स्वतंत्रता आंदोलन के समय से की जा रही है, जब सरोजिनी नायडू और बेगम शाह नवाज जैसे नेताओं ने समान राजनीतिक अधिकारों का समर्थन किया था।
  - हालाँकि, संविधान सभा ने इस विचार को अस्वीकार कर दिया था, यह मानते हुए कि लोकतंत्र स्वाभाविक रूप से निष्पक्ष प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करेगा।
- **1970 और 1980 का दशक:** महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी सीमित रही, जिससे नीति संबंधी चर्चाओं को बढ़ावा मिला।
  - अंततः, 73वें और 74वें संविधान संशोधन किए गए, जिन्होंने पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए एक-तिहाई सीटें आरक्षित कीं
  - । बाद में, 1996 में महिला आरक्षण विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन सामान्य सहमति नहीं बन सकी।
  - 1998, 1999 और 2008 में किए गए प्रयास भी राजनीतिक बाधाओं के कारण सफल नहीं हो सके।
- **सितंबर 2023:** महिला आरक्षण विधेयक लगभग सर्वसम्मति से पारित हुआ, जिसे आधिकारिक तौर पर **संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम, 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम)** के रूप में जाना जाता है।

- **संविधान (106वाँ संशोधन) अधिनियम, 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम)** यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं (दिल्ली सहित) में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को अनिवार्य करता है, जिससे शासन में महिला प्रतिनिधित्व को बढ़ावा दिया जा सके।
  - वर्तमान में, लोकसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी लगभग 15% है, जबकि कई राज्य विधानसभाओं में यह 10% से भी कम है।

मुख्य प्रावधान:

- आरक्षण का विस्तार SC और ST महिलाओं के लिए पहले से आरक्षित सीटों तक किया गया है।
- यह आरक्षण आगामी जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया के बाद प्रभाव में आने की योजना है, जिससे सीटों का उचित आवंटन सुनिश्चित हो सके।

- यह आरक्षण 15 वर्षों तक लागू रहने का लक्ष्य रखता है, जिसे संसदीय कार्रवाई के माध्यम से बढ़ाया जा सकता है।

चिंताएँ और चुनौतियाँ

- **देरी से कार्यान्वयन:** आरक्षण केवल 2027 की जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया के बाद लागू किया जाएगा।
- **परिसीमन का प्रभाव:** परिसीमन प्रक्रिया ने दक्षिणी राज्यों में चिंता बढ़ाई है।
  - चूंकि उत्तरी राज्यों में जनसंख्या वृद्धि अधिक रही है, वे अधिक सीटें प्राप्त कर सकते हैं, जिससे दक्षिणी राज्यों का राजनीतिक प्रभाव कम हो सकता है।
- **OBC उप-कोटा की मांग:** कुछ राजनीतिक समूहों ने OBC महिलाओं के लिए आरक्षण के अन्दर आरक्षण की माँग की है।
  - उनका तर्क है कि यदि अलग कोटा नहीं दिया गया तो उच्च जाति की महिलाएँ इस नीति का असमान रूप से अधिक लाभ उठा सकती हैं।
- **आरक्षित सीटों का घुमाव:** अधिनियम में कहा गया है कि परिसीमन अभ्यास के बाद आरक्षित सीटों को घुमाया जाएगा।
  - इससे राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए दीर्घकालिक चुनावी योजना बनाने में अनिश्चितता उत्पन्न हो सकती है।

निष्कर्ष और आगे की राह

- **महिला आरक्षण अधिनियम, 2023** महिलाओं को सशक्त बनाने, लोकतंत्र को मजबूत करने और अधिक समावेशी शासन का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास करता है।
- हालाँकि, परिसीमन, उप-कोटा और कार्यान्वयन में देरी से जुड़ी चिंताओं को दूर करना इसकी सफलता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक होगा।
- आगामी जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया इस दृष्टि को हकीकत में बदलने की समय-सीमा निर्धारित करने में निर्णायक भूमिका निभाएगी।

Source: IE

आपातकाल के 50 वर्ष

संदर्भ

- इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 12 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के 1971 के चुनाव को चुनावी कदाचार के आधार पर अमान्य घोषित कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, 25 जून 1975 को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई।

राष्ट्रीय आपातकाल के लिए संवैधानिक प्रावधान

- घोषणा के आधार: संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार, यदि भारत की सुरक्षा या इसके किसी भाग को खतरा हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं:
  - युद्ध और बाहरी आक्रमण (बाहरी आपातकाल)
  - **सशस्त्र विद्रोह (आंतरिक आपातकाल):** 44वें संशोधन अधिनियम, 1978 द्वारा 'आंतरिक अशांति' को 'सशस्त्र विद्रोह' से प्रतिस्थापित किया गया।

प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय

- मंत्रिमंडल के परामर्शकी आवश्यकता: 44वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रपति को आपातकाल घोषित करने से पहले मंत्रिपरिषद् की लिखित सिफारिश अनिवार्य है।
- संसदीय अनुमोदन: दोनों सदनों से एक महीने के अन्दर अनुमोदन आवश्यक।
  - यदि लोकसभा भंग हो जाती है, तो राजसभा की स्वीकृति से आपातकाल पुनर्गठित लोकसभा के गठन के 30 दिनों तक जारी रह सकता है।
  - यदि संसद के दोनों सदन इसे मंजूरी देते हैं, तो आपातकाल छह महीने तक जारी रह सकता है और प्रत्येक छह महीने के लिए संसद द्वारा मंजूरी से अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है।
- विशेष बहुमत की आवश्यकता: आपातकाल की घोषणा या उसके निरंतर प्रभावी रहने को मंजूरी देने वाले प्रत्येक प्रस्ताव को संसद के किसी भी सदन में विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए:

- उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत, और
- उस सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले दो-तिहाई सदस्यों का बहुमत।

- रद्दीकरण: राष्ट्रपति एक नए घोषणा-पत्र द्वारा आपातकाल को निरस्त कर सकते हैं।
  - यदि लोकसभा इसके निरंतर प्रभाव को अस्वीकार करने वाला प्रस्ताव पारित करती है, तो राष्ट्रपति को इसे वापस लेना आवश्यक होगा।

मौलिक अधिकारों पर प्रभाव

- अनुच्छेद 358: अनुच्छेद 19 का स्वचालित निलंबन;
  - यह केवल युद्ध या बाहरी आक्रमण के कारण लागू होता है (सशस्त्र विद्रोह पर लागू नहीं)।
  - अनुच्छेद 19 के अंतर्गत मौलिक अधिकार स्वतः समाप्त हो जाते हैं, अलग आदेश की आवश्यकता नहीं होती।
- अनुच्छेद 359: अन्य मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर) के प्रवर्तन का निलंबन;
  - राष्ट्रपति अलग आदेश जारी कर सकते हैं और संसद को इन आदेशों को मंजूरी देनी होती है।
- मिनर्वा मिल्स केस (1980): सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि आपातकाल की घोषणा की वैधता न्यायिक समीक्षा के अधीन है, यदि यह दुर्भावनापूर्ण, अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित, या अनुचित हो।

भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के ऐतिहासिक उदाहरण

आधार	अवधि
बाह्य आक्रमण (चीन)	1962-1968
बाह्य आक्रमण (पाकिस्तान)	1971-1977
आंतरिक अशांति	1975-1977

आपातकाल अवधि की आलोचना

- **भारत में आपातकाल (25 जून 1975 – 21 मार्च 1977) को अक्सर भारतीय लोकतंत्र के "अंधकारमय युग" के रूप में जाना जाता है क्योंकि:**
  - कई मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, जिनमें बोलने, सभा करने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल थी।
  - प्रेस की स्वतंत्रता को पूर्व-सेंसरशिप और सरकारी नियंत्रण के माध्यम से बाधित किया गया।
  - रक्षा कानून (MISA) के अंतर्गत हजारों राजनीतिक नेताओं, कार्यकर्ताओं और असहमति व्यक्त करने वालों को बिना मुकदमे के गिरफ्तार किया गया।
  - न्यायिक स्वतंत्रता कमजोर हुई: 39वें संशोधन ने प्रधानमंत्री के चुनाव को न्यायिक समीक्षा से बाहर कर दिया, जिससे संतुलन तंत्र को लेकर चिंताएँ उत्पन्न हुईं।
  - निर्णय-निर्माण अत्यधिक केंद्रीकृत हो गया और कार्यपालिका की शक्ति का अधिकाधिक समावेश हुआ।

लोकतांत्रिक शासन के लिए सीख

- *1975 के बाद के संवैधानिक संशोधनों (44वें CAA) ने एकतरफा कार्रवाई से बचने के लिए महत्त्वपूर्ण सुरक्षा उपाय प्रस्तुत किए हैं - जैसे कि अनिवार्य मंत्रिमंडल परामर्श और समय-समय पर संसदीय अनुमोदन।*
- मौलिक अधिकारों की रक्षा: अनुच्छेद 20 और 21 को संशोधनों द्वारा सुरक्षित किया गया, जिससे मौलिक मानवाधिकारों को मजबूती मिली।
- न्यायपालिका की भूमिका: सर्वोच्च न्यायालय ने बेसिक स्ट्रक्चर सिद्धांत को लागू कर आपातकाल की न्यायिक समीक्षा को संभव बनाया, जिससे कार्यपालिका की अतिरेकता पर संवैधानिक नियंत्रण सुनिश्चित किया गया।

Source: IE

संक्षिप्त समाचार

यूनेस्को 'रचनात्मक पाककला शहर'

संदर्भ

- हाल ही में अवधी व्यंजन के लिए गैस्ट्रोनॉमी श्रेणी के अंतर्गत **क्रिएटिव सिटी लखनऊ** प्रस्ताव को **वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर** में प्रस्तुत किया गया है।

युनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क (UCCN)

- यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क (UCCN) एक वैश्विक

नेटवर्क है, जो **संस्कृति और रचनात्मकता** को **सतत् शहरी विकास** के प्रेरक तत्वों के रूप में मान्यता देता है।

- UCCN की स्थापना **2004** में की गई थी।
- यह नेटवर्क सात रचनात्मक क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है:
  - शिल्प और लोक कला
  - डिजाइन
  - फिल्म
  - गैस्ट्रोनॉमी (Gastronomy)
  - साहित्य
  - मीडिया कला
  - संगीत

यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में भारतीय शहर

- भारत के कई शहर युनेस्को के **क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क** का हिस्सा हैं।
- वर्तमान में इस नेटवर्क में शामिल भारतीय शहर निम्नलिखित हैं:
  - जयपुर और श्रीनगर (**शिल्प और लोक कला**)
  - वाराणसी, चेन्नई और ग्वालियर (**संगीत**)
  - मुंबई (**फिल्म**)
  - हैदराबाद (**गैस्ट्रोनॉमी**)
  - कोझिकोड (**साहित्य**)

Source: HT

शिपकी ला

संदर्भ

- हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने **शिपकी-ला** में सीमा पर्यटन गतिविधियों का शुभारंभ किया।

शिपकी-ला के बारे में

- **स्थान:** एक उच्च ऊँचाई वाला वाहन योग्य पहाड़ी दर्रा (3,930 मीटर), जो हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में **भारत-चीन सीमा** पर स्थित है।

रणनीतिक और सांस्कृतिक महत्त्व:

- यह **प्राचीन सिल्क रूट** पर स्थित है, जो भू-राजनीतिक महत्त्व, सांस्कृतिक विरासत और हिमालयी परिदृश्य का अद्वितीय संयोजन प्रस्तुत करता है।
- ऐतिहासिक रूप से, यह **भारत और तिब्बत के बीच व्यापार मार्ग** के रूप में कार्य करता था, लेकिन 2020 में इसे व्यापार के लिए बंद कर दिया गया।
- **सतलुज नदी** (तिब्बती नाम: **लांगचेन ज़ांगबो**) भारत में इस दर्रे से प्रवेश करती है।

कैलाश मानसरोवर यात्रा की संभावना:

- हिमाचल प्रदेश सरकार ने **शिपकी-ला** को **कैलाश मानसरोवर यात्रा** के लिए सबसे आसान मार्ग के रूप में प्रस्तावित किया है, जिसकी मंजूरी केंद्र सरकार द्वारा दी जानी बाकी है।

Source: TH

लोकपाल

समाचार में

- भारत के लोकपाल की पूर्ण पीठ ने नया आदर्श वाक्य अपनाया—**"नागरिकों को सशक्त करना, भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करना"**।

लोकपाल

- परिचय: यह भारत में एक **भ्रष्टाचार विरोधी प्राधिकरण** या **लोकपाल** है, जिसे सार्वजनिक कार्यालयों में भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को संबोधित करने के लिए स्थापित किया गया था।
- कानूनी स्थिति: लोकपाल कोई संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि **लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013** के अंतर्गत बनाया गया एक सांविधिक निकाय है।
- अध्यक्ष: **भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश** या **सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश**।

- **लोकपाल की नियुक्ति:** लोकपाल की नियुक्ति **चयन समिति** द्वारा की जाती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं:
  - प्रधानमंत्री
  - भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI)
  - लोकसभा में विपक्ष के नेता (LoP)
  - एक प्रतिष्ठित न्यायविद (ऊपर दिए गए सदस्यों द्वारा नियुक्त)
- **कार्यकाल:** लोकपाल का कार्यकाल **5 वर्षों** का होता है या जब तक वे **70 वर्ष** की आयु प्राप्त नहीं कर लेते।
- **शक्तियाँ और कार्य:**
  - लोकपाल को **सरकारी अधिकारियों, मंत्रियों, और प्रधानमंत्री** (राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामलों को छोड़कर) के विरुद्ध **भ्रष्टाचार मामलों की जाँच और अभियोजन** का अधिकार है।
  - लोकपाल को **CBI द्वारा भ्रष्टाचार मामलों में की जाने वाली जाँच की निगरानी** का अधिकार प्राप्त है।

Source: AIR

माल्टा की गोल्डन पासपोर्ट योजना

संदर्भ

- यूरोपीय न्यायालय (European Court of Justice) ने निर्णय दिया कि माल्टा अब अपने **'गोल्डन पासपोर्ट' योजना** के अंतर्गत नागरिकता नहीं बेच सकता, क्योंकि यह **यूरोपीय कानून के विपरीत** है।

परिचय

- 2014 में प्रारंभ किया गया **माल्टा का इंडिविजुअल इन्वेस्टर प्रोग्राम (IIP)**, जिसे **गोल्डन पासपोर्ट योजना** के रूप में जाना जाता है, अमीर विदेशी नागरिकों को **माल्टा की नागरिकता** और उसके माध्यम से **यूरोपीय संघ की नागरिकता** वित्तीय योगदान के आधार पर प्रदान करता था।

आवेदकों को करना होता था:

- माल्टा के **राष्ट्रीय विकास निधि** में **€600,000–€750,000 का योगदान**।
- माल्टा में **अचल संपत्ति (रियल एस्टेट) खरीदना या पट्टे पर लेना**।
- **पंजीकृत NGO को €10,000 का दान** देना। यह योजना **रूस, चीन, मध्य पूर्व** और अन्य देशों के निवेशकों, राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों और प्रसिद्ध हस्तियों को आकर्षित करती थी।

यह योजना विवादास्पद क्यों थी?

- **सुरक्षा संबंधी चिंताएँ:** नागरिकता प्राप्त करने पर EU के **वीजा-मुक्त शेंगेन क्षेत्र** तक पहुँच मिलती थी, जिससे **धनशोधन (मनी लॉन्डरिंग) और आपराधिक नेटवर्क की घुसपैठ** का खतरा बढ़ सकता था।
- **पारदर्शिता की कमी:** कई सफल आवेदकों की पहचान **गोपनीय** रखी गई थी।

Source: BS

होरटोकी-सैरांग लाइन

समाचार में

- रेलवे सुरक्षा आयोग (CRS) ने **होर्टोकी-सैरांग लाइन** को मंजूरी दे दी है।

होर्टोकी-सैरांग लाइन

- यह **बैराबी-सैरांग रेलवे परियोजना** का अंतिम चरण है, जो **मिज़ोरम** में निर्मित किया जा रहा है।
- यह **राज्य की राजधानी आइज़ोल** को पहली बार रेल से जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है, जो **33.86 किमी**

लंबी होर्टोकी-सैरांग रेलखंड के माध्यम से संभव हुआ है।

- यह पहाड़ी क्षेत्र में स्थित है और इसमें **32 सुरंगें** तथा **35 प्रमुख पुल** शामिल हैं।
- **सैरांग** आइज़ोल का एक उपग्रह नगर है, जो शहर से लगभग **20 किमी** की दूरी पर स्थित है।
- **बैराबी**, कोलासिब जिले में स्थित है और असम सीमा के पास है। अब तक, **मिज़ोरम का एकमात्र रेलवे स्टेशन** यही था।

महत्त्व

- **बैराबी-सैरांग परियोजना** रेलवे मंत्रालय की **पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को रेल से जोड़ने की व्यापक योजना** का हिस्सा है।
- इस योजना में **असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर और त्रिपुरा** में **नई रेल लाइनों और दोहरीकरण परियोजनाओं** को शामिल किया गया है।
- यह **केंद्र की एक्ट ईस्ट नीति** के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में **संयुक्तता और आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा** देने वाली एक महत्त्वपूर्ण आधारभूत ढाँचा पहल है।

Source :IE

'मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थेरेप्यूटिक्स की खोज और विकास' पर संगोष्ठी

संदर्भ

- ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट (THSTI) ने **मोनोक्लोनल एंटीबॉडी (mAb) चिकित्सीय खोज और विकास** पर एक **राष्ट्रीय संगोष्ठी** का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य **भारत के बायोफार्मास्युटिकल क्षेत्र** में सहयोग को बढ़ावा देना है।

मोनोक्लोनल एंटीबॉडी (mAbs) क्या हैं?

- मोनोक्लोनल एंटीबॉडी **प्रयोगशाला में निर्मित प्रोटीन** होते हैं, जो विशेष **एंटीजन (जैसे वायरस, बैक्टीरिया, या कैंसर कोशिकाएँ)** को लक्षित करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं।
- ये **एक ही B-कोशिका के क्लोन** से उत्पन्न होते हैं, इसलिए संरचना और विशिष्टता में समान होते हैं।
- mAbs प्राकृतिक **प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया** की नकल करते हैं, लेकिन ये अत्यधिक **विशिष्ट** होते हैं, जिससे वे **रोगों के उपचार में प्रभावी उपकरण** बनते हैं।

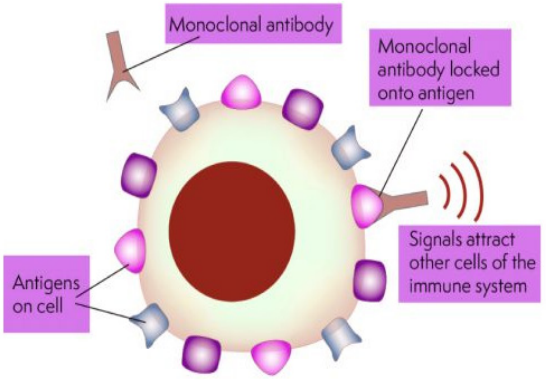

Function of Monoclonal Antibodies

mAbs के अनुप्रयोग

स्वास्थ्य और चिकित्सा:

- **संक्रामक रोग:** COVID-19 उपचार में प्रयुक्त **Casirivimab और Imdevimab** जैसी mAbs।
- **अंग प्रत्यारोपण:** अंग अस्वीकृति को रोकने के लिए।
- **निदान (डायग्नॉस्टिक्स):** गर्भावस्था परीक्षण, ELISA किट, और रोग पहचान मार्कर में उपयोग।

Source: PIB

समुद्री नौवहन सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन (IALA)

समाचार में

- भारत, **इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर मरीन एड्स टू नेविगेशन (IALA)** का **उपाध्यक्ष** होने के कारन, **नाइस, फ्रांस** में आयोजित **IALA परिषद् के दूसरे सत्र** में सक्रिय रूप से भाग ले रहा है।

IALA के बारे में

- **स्थापना:** 1957 में, मूल रूप से **इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मरीन एड्स टू नेविगेशन एंड लाइटहाउस अथॉरिटीज (IALA)** के रूप में स्थापित।

- **मुख्यालय: सेंट-जर्मेन-एन-ले, पेरिस, फ्रांस** के निकट स्थित।
- **सदस्य:** IALA में वर्तमान में **39 सदस्य देश** शामिल हैं।
- **स्थिति: अगस्त 2024** में **30 देशों** द्वारा एक कन्वेंशन के माध्यम से पुष्टि के बाद, IALA **गैर-सरकारी संगठन (NGO) से अंतर-सरकारी संगठन (IGO) में परिवर्तित** हुआ।
- **उद्देश्य:**
  - **समुद्री सुरक्षा में सुधार** करना।
  - **समुद्री दुर्घटनाओं को कम** करना।
  - **समुद्री पर्यावरण की रक्षा** करना।
  - **सामान्य प्रथाओं, तकनीकी मानकों और समुद्री नेविगेशन के लिए सिफारिशों का विकास** करना।

Source: AIR

पारिस्थितिकी-संवेदनशील क्षेत्र(BESZ)

संदर्भ

- गंगोत्री (उत्तरकाशी, उत्तराखंड) में भागीरथी इको-सेंसिटिव ज़ोन (BESZ) के अंतर्गत नगर निगम ठोस अपशिष्ट दहन संयंत्र की स्थापना ने पर्यावरण कार्यकर्ताओं के बीच विरोध को जन्म दिया है।

इको-सेंसिटिव ज़ोन (ESZs) क्या हैं?

- इको-सेंसिटिव ज़ोन (ESZs) वे क्षेत्र हैं जिन्हें पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत अधिसूचित किया जाता है।
- ESZs विशेष रूप से राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास के क्षेत्रों को नामित किया जाता है।
- इनका मुख्य उद्देश्य इन संरक्षित क्षेत्रों के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना और आसपास के क्षेत्रों में मानव गतिविधियों को नियंत्रित करना है।
- ESZ की सीमा संरक्षित क्षेत्र के चारों ओर 10 किमी तक जा सकती है, और विशेष परिस्थितियों में इससे अधिक भी बढ़ाई जा सकती है।
- ESZ में गतिविधियाँ निम्नानुसार वर्गीकृत की जाती हैं:
  - **निषिद्ध:** वाणिज्यिक खनन, प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं की स्थापना, प्रदूषणकारी उद्योगों (रेड कैटेगरी) की स्थापना।
  - **नियंत्रित:** निर्माण कार्य, पर्यटन, वृक्षों की कटाई, वाहन यातायात।
  - **अनुमत:** कृषि, जैविक खेती, स्थानीय समुदायों का उपयोग।
- जून 2022 में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था कि सभी राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास कम से कम 1 किमी का इको-सेंसिटिव ज़ोन (ESZ) अनिवार्य रूप से होना चाहिए।

Source: TH

अभ्यास 'खान क्वेस्ट'

समाचार में

- भारतीय सेना का दल **उलानबटार, मंगोलिया** पहुँच गया है, जहां वह **बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास 'खान क्वेस्ट'** में भाग लेगा।

अभ्यास 'खान क्वेस्ट'

- यह **2003 में संयुक्त राज्य अमेरिका और मंगोलियाई सशस्त्र बलों** के बीच एक द्विपक्षीय पहल के रूप में प्रारंभ हुआ, जो **2006 से एक बहुराष्ट्रीय शांति स्थापना प्रयास** में विकसित हुआ।
- यह एक **वार्षिक अभ्यास** है, जो **दुनिया भर की सैन्य शक्तियों को एक साथ लाता है**, ताकि वे **शांति स्थापना क्षमताओं को मजबूत करने** के लिए सहयोग कर सकें।
- यह अभ्यास **भाग लेने वाले देशों को सामरिक, तकनीकी और प्रक्रियात्मक सर्वोत्तम अभ्यासों को साझा करने** में सक्षम बनाएगा, जिससे **संयुक्त अभियानों को प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सके।**

- इसका उद्देश्य **भारतीय सशस्त्र बलों को बहुराष्ट्रीय परिदृश्य में शांति स्थापना अभियानों के लिए तैयार करना** है, जिससे वे **संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के अंतर्गत शांति समर्थन अभियानों में परस्पर सहयोग और सैन्य तत्परता बढ़ा सकें।**

Source :TH